का॰ज्ञा॰सं॰ 15/6/2005-रा॰भा॰ (सेवा), दिनांक 7.4.2005

विषय: अधीनस्थ संबद्ध उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में पदोन्नति के लिए राजभाषा संवर्ग की व्यवस्था।

संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के छठे खंड में निम्नलिखित सिफारिश की है:-

''**संस्तुति सं॰ 11.10.14:** केंद्रीय सरकार के मंत्रालय स्तर के लिए तो राजभाषा कैडर बना है जिसके कारण एक कनिष्ठ अनुवादक निदेशक (रा॰भा॰) के पद तक पहुंच जाता है, किन्तु भारत सरकार के अधीनस्थ/संबद्ध/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में राजभाषा कैडर की व्यवस्था नहीं है। इस कारण राजभाषा अनुभाग में कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी विभागीय पदोन्नति से इस कारण वंचित रह जाते हैं कि वह राजभाषा हिंदी में कार्य कर रहा है। अत: उक्त कार्यालय में राजभाषा कैडर के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए अथवा उनके विभाग में उनकी वरीयता के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए। एक मंत्रालय के अधीन जितने उपक्रम/प्रतिष्ठान/अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय हैं उनका राजभाषा कैडर बनाया जाए।''

2. समिति की यह संस्तुति इस विभाग की संकल्प सं॰ 12021/02/2003-II रा॰भा॰ (सेवा), दिनांक 17.9.2004 के अन्तर्गत स्वीकार्य कर ली गई है। इस बारे में पहले भी निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन जारी किये गए थे:-

(1) कार्यालय ज्ञापन सं॰ 17/5/88-रा॰भा॰ (सेवा) दिनांक 6.4.1988

(2) का॰ज्ञा॰सं॰ 9/5/1990-रा॰भा॰ (सेवा) दिनांक 13.11.1990 और 25.4.1991

(3) का॰ज्ञा॰सं॰ 9/2/97-रा॰भा॰ (सेवा) दिनांक 14.8.1997 और 23.3.1999

(4) का॰ज्ञा॰सं॰ 9/5/99-रा॰भा॰ (सेवा) दिनांक 28.9.1999

सभी मंत्रालयों/विभागों/संबंद्ध व अधीनस्थ कार्यालय व उनके नियंत्रणाधीन उपक्रमों से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों और संगठनों आदि में कार्यरत हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्ग गठित करने के लिए कार्यवाही करें, ताकि राजभाषा से जुड़े कर्मियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें।

4. इस विषय में की गई कार्यवाही से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराया जाये।